न्यूज़ टुडे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019–20 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष (सरप्लस) के रूप में 57,128 करोड़ रुपये अंतरित (ट्रांसफर) किए

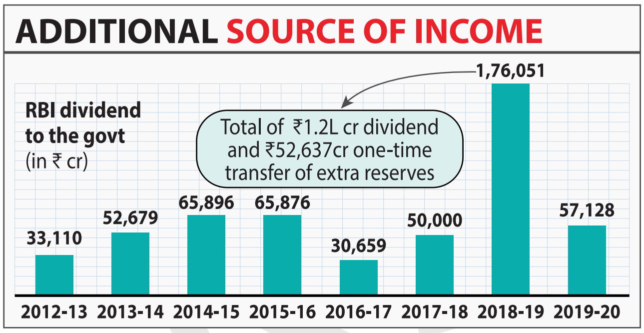

- केंद्रीय बजट में RBI, राज्य संचालित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश (dividend) के रूप में **89,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।** इसमें से RBI द्वारा 60,000 करोड़ रुपये का योगदान करना अपेक्षित था।
  - यद्यपि, इस वर्ष अंतरण **विगत वर्ष की तुलना में बहुत कम है,** जिसमें बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा के अनुसार **अतिरिक्त भंडार का एकमुश्त अंतरण भी शामिल था।**
  - इसके अतिरिक्त, **राष्ट्रीयकृत बैंक इस वर्ष कोई लाभांश घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि** RBI द्वारा कोविड–19 संकट से उत्पन्न चूक (defaults) को कवर करने हेतु पूंजी संरक्षण के लिए उन्हें ऐसा करने से निरुद्ध कर दिया गया है।
- RBI की ओर से प्राप्त इन अंतरण से **केंद्र सरकार का वित्तीय तनाव कम होगा।**
  - उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2020–21 की **प्रथम तिमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा** संपूर्ण वर्ष के बजटीय लक्ष्य का 83% था।
- भारतीय रिज़र्व बैंक वस्तुतः **RBI अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभों का आबंटन)** के प्रावधानों के अंतर्गत, सरकार को अधिशेष (व्यय की तुलना में अधिक आय) अंतरित करता है।
  - यह अंतरण **RBI के लेखा वर्ष (जुलाई–जून) के समाप्त होने के पश्चात्** प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के आरंभ में संपन्न किया जाता है।
- RBI ने **आकस्मिक जोखिम बफर (Contingency Risk Buffer: CRB)** को 5.5% पर बनाए रखने का भी निर्णय किया है।
  - **CRB,** भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी का एक घटक है, जो इसकी मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, साख (credit) तथा परिचालनात्मक जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक है।

बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Finance Companies: NBFCs) का हिस्सा बढ़कर 8.8 प्रतिशत हुआ

- केयर (CARE) रेटिंग के अनुसार, NBFCs के लिए बैंकों के ऋण में सितंबर 2018 से जून 2020 के दौरान **47.1 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
  - इसी अवधि में बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में NBFCs की हिस्सेदारी **6.9% से बढ़कर 8.8%** हो गयी है।
  - ये आंकड़े ऐसे समय में जारी किए गए हैं, जब **तरलता की कमी का सामना** कर रहे NBFCs द्वारा और अधिक बैंक ऋण के लिए निरंतर आग्रह किया जा रहा है।
- वर्ष 2018 के IL&FS संकट के उपरांत NBFCs क्षेत्र तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस घटना के पश्चात् बैंक, वित्तीय प्रणाली को प्रभावित होने से बचाने के लिए NBFCs को ऋण देने से हिचकिचाने लगे थे।
  - इसके अतिरिक्त, IL&FS संकट के पश्चात्, म्यूचुअल फंड्स ने भी NBFCs के **ऋण को पुनर्वित्त (refinancing) करना बंद** कर दिया था।
- **NBFCs की पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:**
  - **लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (long-term repo operation):** इसके तहत, बैंक **RBI से तीन वर्ष हेतु निधियन** प्राप्त कर सकते हैं, जिसे NBFCs के निवेश–श्रेणी के बंधपत्रों (bonds), वाणिज्यिक पत्रों और गैर–परिवर्तनीय ऋण–पत्रों (debentures) आदि में निवेश किया जा सकता है।
  - **45,000 करोड़ रुपये मूल्य की आंशिक ऋण गारंटी योजना (Partial Credit Guarantee Scheme) 2.0:** यदि सार्वजनिक बैंक NBFCs और अन्य गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बंधपत्रों आदि की खरीद करते हैं तो ऐसे बंधपत्रों पर होने वाली प्रथम क्षति के 20% तक की क्षतिपूर्ती की गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
  - **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के तहत NBFCs के लिए विशेष तरलता योजना की घोषणा की गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता को न्यायालय के अवमान (Contempt of Court: CoC) का दोषी माना है

- **न्यायालय द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां:**
  - उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय प्रशासन में वास्तविक हस्तक्षेप हुआ है, इसकी पुष्टि करने करने के लिए हमेशा "हाँ" में उत्तर ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती है। **यदि किसी अवमानसूचक वक्तव्य से न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप** होने की संभावना उत्पन्न होती है तो उसे पर्याप्त समझा जाएगा।
  - न्यायालय ने अग्रलिखित दो स्थितियों के मध्य विभेद स्थापित किया है: **पहला,** जब किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत पक्ष के बारे में कोई अमान्य वक्तव्य दिया जाता है, और **दूसरा,** जब किसी न्यायाधीश के न्यायिक पक्ष के बारे में कोई अमान्य वक्तव्य दिया जाता है। पहले मामले में, **अवमान क्षेत्राधिकार (Contempt jurisdiction)** लागू नहीं होगा।
  - यदि जनता के व्यापक हित में उचित मंतव्य से न्यायाधीशों की निष्पक्ष आलोचना की जाती है तो यह अवमान नहीं है।
- CoC की अवधारणा न्यायिक संस्थानों को **प्रयोजनीय हमलों और अनुचित आलोचना से संरक्षण प्रदान करती है** तथा इसके **प्राधिकार को न्यून करने वालों को दंडित करने के लिए** एक कानूनी तंत्र का सृजन करती है।
- CoC, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार** पर आरोपित **"युक्तियुक्त निर्बंधनों"** (reasonable restrictions) में से एक है।
- **संविधान का अनुच्छेद 129** उच्चतम न्यायालय को स्वयं के अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। **अनुच्छेद 215** उच्च न्यायालयों को भी इसी प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है।
  - **न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971)** इसे वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
  - **CoC के लिए दंड:** छह माह तक के लिए साधारण कारावास और/या 2,000 रुपये तक का जुर्माना।

एन.टी.पी.सी. द्वारा फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाने हेतु अवसंरचना का विकास किया गया

- एन.टी.पी.सी. लिमिटेड ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित सीमेंट संयंत्रों को वहनीय दर पर अत्यधिक मात्रा में फ्लाई ऐश की आपूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थित रिहंद परियोजना पर एक अवसंरचना का विकास किया है।
  - यह विद्युत संयंत्रों से **फ्लाई ऐश के 100% उपयोग** को सुनिश्चित करने के इसके लक्ष्य के अनुरूप है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018–19 में कुल उत्पादित फ्लाई ऐश में से **77.59%** का उपयोग किया गया था।
- **फ्लाई ऐश के बारे में:**
  - फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर होता है, जो ताप विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Stations: TPS) में कोयले के दहन से उत्पन्न एक उपोत्पाद (by-product) है।
  - **संघटक:** फ्लाई ऐश में सिलिका, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड्स की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। साथ ही आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, सीसा आदि तत्वों का भी अल्प सांद्रण होता है।
  - **भारतीय कोयले में ऐश सामग्री 30.45% होती है** तथा यह आयातित कोयले (ऐश की मात्रा 10.15%) की तुलना में निम्न श्रेणी का होता है।
  - फ्लाई ऐश के निपटान के लिए न केवल **एक वृहद भूखंड की आवश्यकता** होती है, बल्कि **यह वायु और जल को भी प्रदूषित करता है।**
- **फ्लाई ऐश का उपयोग:**
  - **कृषि**– जल धारण क्षमता और मृदा वातन (aeration) में सुधार होता है।
  - **निर्माण उद्योग**– सीमेंट, ईंट आदि का निर्माण।
- **फ्लाई ऐश के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी उपाय:**
  - ऐश प्रबंधन के लिए **ऐश ट्रैक (ASH TRACK)** नामक मोबाइल ऐप।
  - सभी सरकारी योजनाओं (जैसे– प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि) में **फ्लाई ऐश–आधारित उत्पादों के उपयोग को अनिवार्य** बनाया गया है।
  - **महाराष्ट्र,** फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति (वर्ष 2016) को अपनाने वाला **देश का प्रथम राज्य है।**

भारत ने 'इज़राइल–सयुंक्त अरब अमीरात–सयुंक्त राज्य अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते (अब्राहम समझौता) का समर्थन किया है

- यह समझौता सयुंक्त अरब अमीरात और इज़राइल के आपसी **संबंधों को पूर्णतः सामान्य बनाएगा।** साथ ही, इस समझौते के कारण इज़राइल ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी बहुसंख्यक क्षेत्रों के अधिग्रहण की योजनाओं को निलंबित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
- **भारत के लिए संभावित महत्वः**
  - **पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरताः** यह समझौता पश्चिम एशिया में इज़राइल और अरब जगत के मध्य पारंपरिक शत्रुता के समापन के प्रयोजनार्थ प्रथम व्यापक घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण आधार का सृजन करने का प्रयास करता है।
    - यह भारत के लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि यह ऊर्जा **आपूर्ति और प्रवासी आबादी** दोनों के मामले में भारत के लिए लाभ सुनिश्चित करेगा।
  - **द्वि–राष्ट्र समाधान (Two state solution):** इज़राइल द्वारा अपनी अधिग्रहण योजना को स्थगित करने के परिणामस्वरूप इज़राइल और **फिलिस्तीन के मध्य वार्ता** पुनः प्रारंभ हो सकती है।
    - भारत ने सदैव इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य समझौता वार्ता के हिस्से के रूप में द्वि–राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है।
  - **हालांकि, इससे ईरान के साथ संबंध प्रभावित** हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि ईरान ने इस समझौते का विरोध किया है तथा इसके अनुसार अरब–इज़राइल संबंध इसकी सुरक्षा के समक्ष प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न करेगा।
    - **ईरान में भारत के प्रमुख हित** निहित हैं, जैसे– चाबहार बंदरगाह, मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए मार्ग आदि।
- साथ ही, यह समझौता भारत के लिए इस क्षेत्र में **क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए नए अवसर निर्मित** करता है, क्योंकि भारत सयुंक्त अरब अमीरात और इज़राइल दोनों के साथ विशेष संबंध रखता है।

अन्य सुर्ख़ियाँ

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल MPC के सदस्यों के लिए खोज–सह–चयन समिति में शामिल (Former RBI Governor Urijit Patel in MPC search-cum-selection committee)	○ यह खोज–सह–चयन समिति, मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC) में **सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले तीन नए सदस्यों** की खोज करेगी। ○ MPC, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित 6–सदस्यीय समिति है।** इनमें से तीन सदस्य RBI से सम्मिलित होते हैं, जबकि तीन अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होते हैं। ○ **इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता (price stability) को बनाए रखना** और देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना है। ➢ इसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) सहित विभिन्न नीतिगत दरों को **निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।**
बहुविषयक साइबर–फिजिकल प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन {National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems (NM-ICPS)}	○ NM-ICPS के तहत, IIT दिल्ली में एक **प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र** (Technology Innovation Hub) की स्थापना की गई है। ○ **NM-ICPS का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित व एकीकृत करके साइबर–फिजिकल प्रणाली (CPS)** और इससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग आधारित विकास, मानव संसाधन विकास और कौशल वृद्धि, उद्यमिता एवं स्टार्ट–अप विकास की समस्या का समाधान करना है। ○ इसका क्रियान्वन **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा किया जा रहा है।
डॉ. विक्रम साराभाई	○ **चंद्रयान–2 द्वारा चंद्रमा के खड्डों (क्रेटर) की तस्वीर ली गई है।** इसरो (ISRO) द्वारा इसमें से एक का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ○ **डॉ. विक्रम साराभाई के बारे में:** ➢ उन्होंने वर्ष 1947 में अहमदाबाद में **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला** (Physical Research Laboratory: PRL) की स्थापना की थी। ➢ वह परमाणु ऊर्जा आयोग (Atomic Energy Commission) के अध्यक्ष भी थे। ➢ उन्होंने **इसरो की स्थापना में** महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे **भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक** के रूप में भी विख्यात हैं। ➢ उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (वर्ष 1962), पद्म भूषण (वर्ष 1966) और मरणोपरांत पद्म विभूषण (वर्ष 1972) इत्यादि **पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।**
स्वदेशी 'वायु विशिष्ट गुणवत्ता निगरानी' (AUM) फोटोनिक प्रणाली (Indigenous Air Unique quality Monitoring (AUM) Photonic System)	○ यह **वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय में सुदूर निगरानी के लिए** एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली है। ○ यह प्रणाली लेजर पश्च प्रकीर्णन (laser backscattering), सांख्यिकीय यांत्रिकी (स्टेटिक मैकेनिक), प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी (optoelectronics), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence), मशीन/डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिद्धांतों का एक अभिनव अनुप्रयोग है। ○ यह **विभिन्न प्रदूषकों की पहचान, वर्गीकरण और एक साथ** (वन पार्ट पर बिलियन से भी कम के क्रमानुसार) मौसम संबंधी मापदंडों की अधिक उच्च सटीकता, संवेदनशीलता एवं गुणवत्ता की पहचान कर सकती है।
पर्युषण पर्व (Paryushan Parva)	○ पर्युषण पर्व आध्यात्मिक उत्थान और आत्म–शुद्धि के लिए मनाया जाने वाला **जैन धर्म का एक वार्षिक त्यौहार** है। ○ जैनियों के लिए, पर्युषण के दौरान **उपवास करना, बुरे कर्म को समाप्त करने का एक अवसर** है। यह व्यक्ति को अनुशासन, आत्म–नियंत्रण, धैर्य, क्षमा और पश्चाताप की भावना सृजित करने में सहायता प्रदान करता है।
बिहार सरकार बाढ़ से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है (Bihar government using Technology to tackle floods)	○ बिहार सरकार ने राज्य में **बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता,** एक पूर्व चेतावनी प्रणाली और एक गणितीय मॉडलिंग प्रणाली (mathematical modelling system) को **परिनियोजित किया** है। ○ यह नेपाल से उद्गम होने वाली गंडक, बागमती–अधवारा, कमला, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के लिए **72 घंटे की समय–सीमा के साथ बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल (flood forecast model) प्रदान करेगा।**

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
VISION IAS